

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)

Uttaranchal Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)



उर्जा भवन, कौवली रोड, देहरादून - 248 001, दूरभाष : 91-135 2763672, फैक्स : 91-135-2769771
Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun - 248 001. Phone : 91 - 135 2763672 Fax : 91 - 135 -2769771

संख्या : -मा0सं0-ए/93एस-7

दिनांक: 16 अगस्त, 2003

कार्यालय ज्ञापन

पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0प0 / उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम-24 उपनियम-1,2,3 एवं 4 के सन्दर्भ में समय-समय पर निर्गत आदेशों / परिपत्रों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति के कय/विकय सम्बन्धी पूर्वानुमति तथा प्रत्येक पांच वर्ष के अन्तराल पर चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण नियन्त्रक अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी अनुदेश दिये गए हैं ।

अभिलेखों के परीक्षण से परिलक्षित हुआ है कि उपरोक्त नियमों / अनुदेशों का सम्यक पूर्ण अनुपालन नहीं किया जा रहा है । अनेक प्रकरणों में कार्मिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण ससमय प्रस्तुत नहीं किये गए हैं अथवा चल एवं अचल सम्पत्ति के कय / विकय सम्बन्धी पूर्वानुमति प्राप्त करने के बजाय चल एवं अचल सम्पत्ति के कय/विकय के उपरान्त मात्र इसकी सूचना प्रेषित कर दी गई है । यह स्थिति अवांछनीय है व कारपोरेशन ने इसे गम्भीरता से लिया है ।

इस सम्बन्ध में यह निदेशित किया जाता है कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड में दिनांक 01-01-2003 से आमेलित समस्त वर्ग एवं श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संलग्न विहित प्रारूप 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पर दिनांक 01-01-2003 की स्थिति में चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरण अनिवार्यतः प्राप्त कर अधिकारियों से सम्बन्धित विवरण (तीन प्रतियों में) उनके नियन्त्रक अधिकारियों (उचित माध्यम) के द्वारा विलम्बतः दिनांक: 30 सितम्बर, 2003 तक कारपोरेट मुख्यालय को प्रत्येक दशा में अवश्यमेव उपलब्ध कराए जाय । अन्य समस्त वर्ग एवं श्रेणी के कर्मचारियों से प्राप्त उपरोक्त चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण उनके नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित वैयक्तिक पत्रावलियों में व्यवस्थित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा यत्सम्बन्धी अनुपालन आख्या विलम्बतः दिनांक 30 सितम्बर 2003 तक उचित माध्यम द्वारा कारपोरेट मुख्यालय को अवश्यमेव उपलब्ध कराएंगे ।

यह भी इंगित किया जाता है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे वे सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम-24 (3) (4) के उल्लंघन के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार विभागीय कार्यवाही के पात्र होंगे । चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण के अभाव में कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर विचारण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सम्बन्धित कार्मिकों ने अपना चल एवं अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किया है अथवा नहीं ।

निदेशक (मा0सं0)

संख्या : -मा0सं0-ए/93एस-7तददिनांक: 16 अगस्त,2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस मन्तव्य से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों को अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों में भली भांति परिचालित कर उपरोक्तानुसार विवरण एवं कृत कार्यवाही की आख्या इस प्रकार प्रेषित कराने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें कि समस्त वान्छित अभिलेख/आख्या कारपोरेट मुख्यालय को विलम्बतः दिनांक: 30 सितम्बर,2003 तक अनिवार्यतः प्राप्त हो जाय :-

- 1- समस्त महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 ।
- 2- समस्त उप महाप्रबन्धक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 ।
- 3- समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 ।
- 4- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 ।

संलग्नक : यथोक्त ।

[डा0पी0सी0जोशी]
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

संख्या : 1617-मा0सं0-ए/93एस-7तददिनांक: 16अगस्त,2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवं प्रबन्धि के निजी सचिव, उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन,कांवली, देहरादून ।
- 2- निदेशक (परिचालन)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (मा0सं0)उ0पा0का0लि0ऊर्जा भवन,देहरादून ।
- 3- समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उ0पा0का0लि0, ऊर्जा भवन, कांवली,देहरादून ।
- 4- कार्यालय ज्ञापन पंजिका / मास्टर कट फाइल ।

संलग्नक : यथोक्त ।

[डा0पी0सी0जोशी]
→ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

घोषणा का पत्र

(क)

(उन व्यक्तियों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हो)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात मैं कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा/करूँगी, तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय/वार्षिक घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर.....
अधिकारी का नाम.....
पद नाम.....
विभाग.....
दिनांक.....

(ख)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी हो)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है:-

भू-सम्पत्ति

भूमि जिसमें स्थित है।			क्षेत्रफल हैक्टेयर में	पैतृक या अर्जित, यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
जिला	तहसील	गांव/करबा / नगर					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह-सम्पत्ति

गृह जहाँ स्थित है।			गृह की संख्या	अर्जित या पैत्रिक, यदि अर्जित हो तो अर्जित करने का दिनांक	क्या रहने के प्रयोजन हेतु काम में आता है या किराया पर उठाया गया है।	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	विशेष विवरण
क.स.	गांव/करबा / नगर	जिला						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में अचल सम्पत्ति अर्जित करूँगा/करूँगी, तो मैं सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम.....
पद नाम.....
विभाग.....
दिनांक.....

अवधेय- अचल सम्पत्ति में बन्धक (Mortgage) या पट्टे पर रखे गये गृह या भू-सम्पत्तियाँ भी सम्मिलित हैं।

किसी अधिकारी की पत्नी या उसके परिवार के अन्य व्यक्ति द्वारा जो सम्मिलित परिवार में हो, या साथ में रहता हो, या किसी प्रकार उस पर आश्रित हों, रखी गई या उसकी ओर से प्रबन्ध की जाने वाली सम्पत्ति इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा स्वयं रखी गई तथा उसके द्वारा प्रबन्ध की गई, समझी जायगी।

(ग)

(उन लोगों के लिये जिनके कोई अंश (Shares) या विनिधान (Investment) नहीं है)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी अंश या किसी अन्य विनिधान का स्वामी नहीं हूँ। इसके पश्चात् यदि मैं कोई अंश अर्जित करता/करती हूँ या अन्य विनिधान (Investment) करता/करती हूँ, तो मैं सम्बन्धित अवधि के लिए पंचवर्षीय/वार्षिक घोषण में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम.....

पद नाम.....

विभाग.....

दिनांक.....

(घ)

(उन व्यक्तियों के लिये जो अंशों के स्वामी हो या जिनके अन्य विनिधान हो)

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरे निम्नलिखित अंश और विनिधान हैं।

अंश (Shares)

क्रमांक	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश का मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

विनिधान (Investment)

क्र.सं.	विवरण	विनिधान करने का दिनांक	मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5

यदि मैं और अंश अर्जित करता/करती हूँ या अन्य विनिधान करता/करती हूँ तो मैं सम्बन्धित अवधि के लिए पंचवर्षीय/वार्षिक घोषणा में उस तथ्य को घोषित करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम.....

पद नाम.....

विभाग.....

दिनांक.....